न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 811/2024

अनवान : –

1. गोपीराम पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. महेन्द्र सिंह पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगीलाल देहडू अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 17/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सोनड़ी के खाता स0 379/376 की कुल 25.6590 हैक्ट भूमि में से 238/2851 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के तथा रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 400/655 की कुल 4.0970 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एवं 5121/20485 हिस्सा भूमि वादी एवं रोही मौजा सोनड़ी के खाता स0 401/656 की कुल 1.9470 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एवं 1/4 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो की पूर्व मे वादी के पिता हनुमान पुत्र फरसाराम के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई लेकिन उक्त वाद भूमि वादी के नाम कम दर्ज हुई एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उसके हक हिस्सा से ज्यादा भूमि दर्ज हो गयी इसलिए रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 379/376 की कुल 25.6590 हैक्ट भूमि में से 238/2851 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि को वादी अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:30:38 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा सोनड़ी सम्वत 2070–73 खाता स0 379, 400, 401 व जमाबंदी रोही मौजा सोनड़ी सम्वत 2070 बहक हनुमान पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो की पूर्व मे वादी के पिता हनुमान पुत्र फरसाराम के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई लेकिन उक्त वाद भूमि वादी के नाम कम दर्ज हुई एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उसके हक हिस्सा से ज्यादा भूमि दर्ज हो गयी इसलिए रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 379/376 की कुल 25.6590 हैक्ट भूमि में से 238/2851 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि को वादी अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनड़ी के खाता स0 379/376 की कुल 25.6590 हैक्ट भूमि में से 238/2851 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के तथा रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 400/655 की कुल 4.0970 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एवं 5121/20485 हिस्सा भूमि वादी एवं रोही मौजा सोनड़ी के खाता स0 401/656 की कुल 1.9470 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एवं 1/4 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो की पूर्व मे वादी के पिता हनुमान पुत्र फरसाराम के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई लेकिन उक्त वाद भूमि वादी के नाम कम दर्ज हुई एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उसके हक हिस्सा से ज्यादा भूमि दर्ज हो गयी इसलिए रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 379/376 की कुल 25.6590 हैक्ट भूमि में से 238/2851 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि को वादी अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:30:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी के खाता स0 379/376 की कुल 25.6590 हैक्ट भूमि में से 238/2851 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/9/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:30:38 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 811/2024
अनवान : –

1. गोपीराम पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. महेन्द्र सिंह पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 811 सन 2024 निर्णय दिनांक 17/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगीलाल देहड़ू एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी के खाता स0 379/376 की कुल 25.6590 हैक्ट भूमि में से 238/2851 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:30:38 IST
Reason: SelfAttested